I/24362/2024

Speed post /त्रिव डाक **Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस**

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्युरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रीयक का कार्यालय
माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFL0LST/16/2023-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: /11/2023

प्रेषित: **खान एजेंट,**

राजश्री-1 चुना पत्थर खान,

मेसर्स: अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड, यूनिट-बिरला वाईट,

D-7, शास्त्री नगर, जोधपुर, राजस्थान-306709

(e-mail: alok.nigam@adityabirla.com, gopi.dhayal@adityabirla.com)

विषय: राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी राजश्री-1 चुना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 21/12/2023 by undersign and Sri Ajay Jatolia, AME in presence of Sri Gopi Dhayal, Mine Head, Shri Bhawani Singh, Mine Manager and Shri A.S. Raliya, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of the Annual return for the year 2022-23 following discrepancy have been observed: (1) Part-I, Section 12: The lease area utilization at the end of the year 2022-23 furnished under different heads is not matching with the actual utilization of the area as the area under waste dumping has been furnished 5.95 hectare against the area of 7.24 hectare in waste dumping which is furnished in approved review of mining plan dated 10/12/2021. The area of work done under progressive mine closure plan during the year is also not furnished. (2) Part-V, Section 1(exploration): The details of exploration at the beginning of the year, cumulative and grid spacing dimension are not furnished. (3) Part-V, Section 4 (overburdens and waste): The calculation of waste dumping figure under heading 'Total at the end of the year' is not matching on calculation of reported figures in heading 'at the beginning of the year, generated during the year and disposed in dumps during the year'. (4) Part-V, Section 5 (tree planted): The figure of total number of trees at the end of the year is not matching with the uploaded PMCP report for the year 2022-23.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज सरंक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

05. क्रपया ध्यान रखें के भविष्य में आपको इस संदर्भ मे कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

Signed by Dilip Jain
Date: 25-01-2024 18:13:40
Reason: Approved

(दि.पी. जैन)
वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः</u>

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर